

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 92/2022 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनाम 1. फरियन पत्नी अताउसलाम शमां शमशाद टम्मो
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा शगुपता उर्फ लाली गुडडी पिता अताउसलाम
मुसलमान निवासीयान बिजौलिया तहसील
बिजौलिया

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से



निर्णय

दिनांक 06.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम मण्डोल की आ.न. 160 रकबा 0.5018 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षीगणों के सम्मन की तामील में सकुनत गलत होना अंकित किया है। प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया ने सही सकुनत मय सम्मन नोटिस पेश नहीं कर विपक्षी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया

Luks

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा